employees selected for the model branch alongwith details thereof; and

(d) by when a final decision is likely to be taken in this regard by the Super Bazar management?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

सुपर बाजार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पद

625. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 नवम्बर, 1993 तक सुपर बाजार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित क्षेणी-वार कितने पद रिक्त थे;

(ख) क्या इन रिक्त पदों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान चलाने का विचार है और पिछले तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार की प्रबंध-समिति द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की, की गई नियुक्तियों की क्षेणी-वार संख्या कितनी है तथा क्या मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर क्षेणी-वार नयी नियुक्तियों के लिए कोई प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन रिक्त-पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग). सुपर बाजार ने सूचित किया है कि सुपर बाजार में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सुपर बाजार की प्रबंध समिति ने सुपर बाजार में कर्मचारियों की अतिरिक्त संख्या को देखते हुए विशेष रूप से तकनीकी स्वरूप को पदों के सिवाय नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा रखा है।

Sub Standard drugs in Super Bazar

626. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that huge quantity of substandard and spurious drugs have been found in the stock of drugs stores and sections of the Super Bazar during the last three years;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any enquiry has been conducted or is likely to be conducted in this regard by Government;

(d) if so, the findings thereof; and

(e) the action/measures taken by Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No, Sir.

(b) to (e). Do not arise.

Alocation of essential commodities to Gujarat under PDS

627. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) what is the total supply out of the allocated quota made to the Gujarat State for distribution of sugar, edible oils, wheat and rice under Public Distribution System;

(b) what has been the prescribed quota fixed per adult in 1985 and the present quota that is being distributed to each adult in the State;

(c) the number of ration-card holders and fair price shops; and

(d) whether Government of Gujarat had urged the Central Government to

provide more allocation during the year 1993-94?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) the allocation made by the Central Government to Gujarat and offtake reported by the Government of Gujarat of rice, wheat, levy sugar and edible oils in 1993 are as under:

Commodity	Allotment	Off-take
Wheat	6,52,000 MT	3,58,344 MT
Rice	4,14,000 MT	2,79,742 MT
Edible Oil	4,500 MT	3,570 MT
Sugar	2,09,218.5 MT	2,08,910.0 MT

(b) Item-wise monthly scales of issue prescribed (Uniform for adult and child), by Government of Gujarat are:

Commodity	1985	1994 (Feb)
Wheat	15 kgs. per head	8 kgs per head
Rice	500 gms. per head (upto June, 1985) 1 kg per head (July-August, 1985) 2 kg per head (September, 1985) 3 kg per head (from October, 1985)	5 kgs. per head
Imported Edible Oil	500 gms. per head (upto April, 85) 400 gms. per head (June, 85) 500 gms. per head (from July, 85)	1 kg per card (those who are eligible for foodgrains)
Sugar	425 gms. per head 400 gms. per head	

(c) Government of Gujarat has reported as in October, 1993 there were 83,33,863 ration cards; 13,184 fair price shops and 4,46,96,245 people covered under the PDS in the State.

(d) No. Sir.

उपभोक्ता-परिषदों का राज्य-वार ब्यौरा

628. **श्रीमती सत्या बहिन:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: केन्द्र तथा राज्य-स्तर पर गठित उपभोक्ता परिषदों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन परिषदों के अध्यक्षों तथा सदस्यों की संख्या कितनी-कितनी है और उनके नाम क्या-क्या हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के गठन की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का पहले ही गठन किया जा चुका है। उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन कर लिया है। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं है।

केंद्रीय नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय परिषद के अन्य सदस्यों के नामों को दर्शाने वाली अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र सं॰ 12]

जहां तक राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का संबंध है, अधिनियम में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकारों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों की संख्या विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न समयों पर अलग-अलग होती है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के सदस्यों की संख्या एवं उनके नामों के संबंध में मंत्रालय के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।